न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्याः 06/2018 RCMS No.—2018/00112

1. जगदीश पुत्र मूलचन्द ब्राहम्ण निवासी हाल 1847, पुरन्दर जी की गली, चौडा रास्ता, जयपुर।
2. हनुमान पुत्र रामसहाय जाति ब्राहम्ण
3. बाबूलाल पुत्र रामसहाय जाति ब्राहम्ण
4. रमेश चन्द शर्मा पुत्र बद्रीनारायण जाति ब्राहम्ण
5. जगदीश पुत्र रामसहाय जाति ब्राहम्ण

समस्त निवासीयान ग्वांर ब्राहम्णान तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्योजी पुत्र छोटू अहीर निवासी ग्वांर ब्राहम्णान तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 14 नियम 4 राजस्थान भू राजस्व राजकीय भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 22.07.1966 जिसके द्वारा कैम्प दादिया में अनुचित एवं अवैध रूप से बिना कोरम की पूर्ति के मात्र सरपंच की उपस्थिति में खसरा नंबर 276, 278, 279, 280, 282, 294 का अप्रार्थी संख्या एक श्योजी पुत्र छोटू को आवंटन किया गया है।

निर्णय दिनांकः 20.12.2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 22.07.1966 जिससे अप्रार्थी संख्या 1 श्योजी पुत्र छोटू अहीर निवासी ग्वांर ब्राहम्णान तहसील सांगानेर को तहसीलदार सांगानेर द्वारा ग्राम ग्वांर ब्राहम्णान स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 276, 278, 279, 280, 282, 294 रकबा 8 बीघा 02 बिस्वा का आवंटन किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.08.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली दर्ज कर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा आवंटित आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये । अप्रार्थीगण संख्या–1 अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर एकपक्षीय बहस उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक को ग्राम ग्वांर ब्राहम्णान तहसील सांगानेर स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 276, 278, 279, 280, 282, 294 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा का दिनांक 22.07.1966 को किया गया आवंटन पूर्णतया विधि विधान पत्रावली तथ्यों के विपरीत है एवं निरस्तनीय है। वादग्रस्त भूमि का आवंटनकर्ता ने प्रकरण के विवादित मुद्दो व विधि प्रावधानों तथा आवंटन नियमों के

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

प्रावधानों को कतई सही एवं वास्तवित अर्थों में समझे बिना आवंटन किया है। विवादित भूमियों का आवंटन किये जाने से पूर्व ना तो किसी प्रकार की कोई उद्घोषणा ही जारी नहीं की गई ना ही रिक्त भूमियों की सूची बनाई गई एव ना ही ग्राम दादिया में कैम्प लगाये जाने का कोई सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने तथ्यों को छुपाकर अपने नाम से अन्य कोई भूमि दर्ज नहीं होना अपने आवंटन प्रार्थना पत्र में अंकित किया है जबकि पटवारी रिपोर्ट में आवंटी के नाम भूमि होना दर्ज किया है जो निरस्तनीय है। उक्त आवंटन में आवंटन तिथि को आवंटन सलाहकार समिति का कोरम ही पूरा नहीं था, मात्र सरपंच ही उपस्थित था। उक्त विवादित भूमियों का आवंटन तत्कालीन सरपंच की इच्छा से किया गया है जो निरस्तनीय है। उक्त आवंटन मात्र दस वर्ष के लिए किया गया था जो दस वर्ष पश्चात स्वतः ही निरस्तनीय था एवं आवंटन के आधार पर आवंटी के नाम गैर खातेदारी का स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 12.08.1966 भी निरस्तनीय था। विवादित भूमि जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 में सिवाय चक भूमि ही दर्ज रिकॉर्ड नहीं थी, जबकि आवंटित तिथि को दस वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही आवंटी के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी 2014 से 2027 दर्ज कर दी, जो पूर्णतया अवैध है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या एक को विधि विरूद्व किया गया आवंटन 22.07.1966 आराजी खसरा नम्बर 276, 278, 279, 280, 282, 294 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा ग्राम ग्वांर ब्राहम्णान तहसील सांगानेर के खातेदारीशुदा आवंटन को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि आवंटन आदेश 22.07.1966 द्वारा आवंटी को विवादित भूमि नियमानुसार ही आवंटित की गई है। आवंटन कई वर्षो पुराना है। विवादित भूमि का आवंटन दिनांक 22.07.1966 को अप्रार्थी संख्या एक के नाम आवंटन तहसीलदार सांगानेर द्वारा किया गया है जिसमें आंवटी को भूमिहीन मानकर आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय जिला अभिलेखागार जयपुर से प्राप्त मूल आवंटन पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। मूल आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि आवंटी काश्तकार था एवं उसे भूमिहीन मानकर, विवादित भूमि पर अतिक्रमी होने से नियमानुसार भूमि आवंटन की गई। वकील प्रार्थीगण का कथन मान्य नहीं है कि आवंटी को भूमिधारी होने के बावजूद

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

उक्त आवंटन किया गया है जबकि अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा आवंटी/प्रार्थी के खाते में 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि को कम मानते हुए आवंटी को भूमिहीन मानकर आवंटन किया गया है। तत्समय कृषि भूमि आवंटन नियम 1957 प्रभावी थे, जिसके आधार पर आवंटी को कृषि कार्य हेतु भूमि आवंटन की गई थी। लगभग 52 वर्षो से अधिक समय व्यतीत होने पर आंवटन निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का औचित्य प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त विवचेन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत आवंटन निरस्त किये जाने का खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जाये एवं निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट जयपुर की पत्रावली लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर